

(96)

आई.टी. मैनेजर.

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधि०सू०सं०-निग/सारा-(लघु जल) आरोप-02/2022(A) 6267(S) पटना, दिनांक 1/09/2026

अधिसूचना

श्री संजीव कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता (अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता), लघु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध इनका पैतृक विभाग पथ निर्माण विभाग होने के कारण लघु जल संसाधन विभाग के पत्रांक-226 दिनांक-18.01.2022 द्वारा आरोप प्रतिवेदित करते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर श्री सिन्हा के विरुद्ध निम्न कित आरोप का बिन्दु गठित किया गया :-

(i) "श्री संजीव कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के द्वारा लघु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में बिना सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किये प्रमंडल में कार्यरत 05 (पाँच) दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को कुल रुपये 1,75,549/- पारिश्रमिक का भुगतान किया गया, जबकि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-639 दिनांक-16.03.2006 के कड़िका-4 में प्रावधान है कि दिनांक-11.12.1990 के बाद कार्य पर रखे गये सभी प्रकार के दैनिक वेतन भोगियों को संकल्प निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हटा दिया जायेगा।

श्री सिन्हा के उक्त कृत्य से सरकार को आर्थिक क्षति हुई है। इनका यह कृत्य सरकारी नियमों की अवहेलना के साथ-साथ बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-3 (1) का उल्लंघन है, जिसके लिए ये दोषी प्रतीत होते हैं।"

2. उक्त गठित आरोप के लिए श्री सिन्हा से विभागीय पत्रांक-8365 (एस) अनु० दिनांक-08.10.2025 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिन्हा के पत्रांक-1305 (अनु०) दिनांक-15.10.2025 के द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न तथ्य/तर्क दिये गये :-

(i) दिनांक-25.10.2019 से 03.07.2021 तक इनका पदस्थापन लघु सिंचाई प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता के पद पर रही है। इस अवधि में दैनिक भोगी कर्मचारियों को किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया गया है जिसकी संपुष्टि लघु सिंचाई प्रमंडल का पत्रांक-578 दिनांक-06.04.2023 करती है। इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि दिनांक-25.10.2019 से दिनांक 03.07.2021 तक दैनिक कर्मियों को भुगतान से संबंधित किसी प्रकार का प्रमाण Cash Book में दर्ज नहीं है।

अतः भुगतान नहीं होने की स्थिति में कहा जा सकता है कि सरकार को आर्थिक क्षति नहीं हुई है।

(ii) कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्र संख्या-670 दिनांक 17.06.2016 के द्वारा उन पाँच दैनिक वेतन भोगी की वेतन की अधियाचना भी की गई, जिनकी भुगतान का आरोप 2019 में भी है। अर्थात् इनका भुगतान लगातार लघु जल संसाधन से प्राप्त आवंटन के आधार पर संभवतः की जाती रही है।

(iii) लघु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के भुगतान के संबंध में प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि भुगतान के आरोप में कर्मियों की कार्यावधि इनके पदस्थापन के पूर्व की है। इसकी संपुष्टि मापीपुस्त की पृष्ठ संख्या-32 एवं 33 से पुनः होती है कि दैनिक भोगी कर्मचारियों कि कार्य अवधि का सत्यापन सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 22.10.2019 को कि गई है। जबकि इनका पदस्थापन उक्त प्रमंडल में दिनांक-25.10.2019 को हुई है।

(iv) जिस सहायक अभियंता ने मापी पुस्त को दिनांक 22.10.2019 में हस्ताक्षरित किया है वे दैनिक कर्मियों के कार्य करने के समय प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित थे। साथ ही ये ही साक्षियों की सूची में है।

(v) यह एक नैसर्गिक प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसका भुगतान होनी चाहिए या नहीं ? कार्य करने वाला व्यक्ति दोषी है या उससे कार्य लेने वाला ?

(vi) कार्य करने वाले व्यक्ति को भुगतान किया जाना सही जान पड़ता है। इसी कारण से इनके द्वारा इनके पदस्थापन काल के पूर्व में दैनिक भोगी कर्मियों की मापी पुस्तक पर हस्ताक्षर की गई, जिसके बाद सभी बचे हुए दैनिक भोगी कर्मियों को इनके द्वारा सेवा से हटा दिया गया।

3. चूंकि श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप लघु जल संसाधन विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था इसलिए श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण उत्तर पर लघु जल संसाधन विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। लघु जल संसाधन विभाग के पत्रांक-4059 दिनांक-19.06.2026 के द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जो निम्न प्रकार है :-

“कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-602 दिनांक-09.05.2026 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री संजीव कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन अवधि में दो दैनिक वेतनभोगी कर्मी श्री जयनंदन कुमार, पम्प चालक एवं श्री सुफल नारायण पाण्डेय, पम्प चौकीदार अक्टूबर-2019 से दिसम्बर-2019 तक कार्यरत रहे हैं। इस अवधि का पारिश्रमिक भुगतान किये जाने हेतु श्री सिन्हा के स्तर से आवंटन की अधियाचना भी विभाग से की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त दोनों दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के द्वारा उक्त अवधि का बकाया वेतन के भुगतान हेतु श्रम न्यायालय में वाद दायर किया गया। श्रम न्यायालय द्वारा उक्त अवधि का बकाया भुगतान के लिए आदेश दिया गया, जिसके फलस्वरूप दोनों कर्मियों के उक्त अवधि का भुगतान किया गया।

कार्यपालक अभियंता के उपर्युक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री संजीव कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-639 दिनांक-16.03.2006 का उल्लंघन करते हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को लगातार कार्य पर बनाये रखा गया, जिसके कारण उक्त कार्यरत दोनों कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान विभाग को करना पड़ा, जिसके लिए श्री सिन्हा स्पष्ट रूप से जिम्मेवार हैं।”

4. श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि लघु जल संसाधन विभाग के मंतव्य से स्पष्ट है कि श्री सिन्हा ने नियमों का उल्लंघन करते हुए दो दैनिक वेतन भोगी कर्मियों यथा - श्री जयनन्दन ठाकुर, पम्प चालक एवं श्री सुफल नारायण पाण्डेय, पम्प चौकिदार को अक्टुबर-2019 से दिसम्बर-2020 तक सेवा में बनाये रखा। श्री सिन्हा द्वारा स्वीकार किया गया कि वे कार्यपालक अभियंता के पद पर आलोच्य प्रमंडल में दिनांक-25.10.2019 से 30.07.2021 तक की अवधि में पदस्थापित थे। इस तरह से श्री सिन्हा उक्त दोनो कर्मियों को नियमों का उल्लंघन करते हुए सेवा में बनाये रखने के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण लघु जल संसाधन विभाग को उक्त अवधि के लिए दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को भुगतान करना पड़ा। इस प्रकार श्री सिन्हा के विरुद्ध दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियम का उल्लंघन करते हुए सेवा में बनाये रखने का आरोप प्रमाणित होता है।

5. अतएव उपर्युक्त के आलोक में श्री संजीव कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता (अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता), लघु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति: कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर पत्रांक-1305 (अनु०) दिनांक-15.10.2025 को सम्यक विचारोपरांत अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 14 (v) के तहत निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-

(i) "संचयी प्रभाव के बिना 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक"।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :-

ज्ञापांक :- निग/सारा-(लघु जल) आरोप-02/2022(A)

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :-

ज्ञापांक :- निग/सारा-(लघु जल) आरोप-02/2022(A)

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा- आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :- निग/सारा-(लघु जल) आरोप-02/2022(A)

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा-13/14), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मु०/लेखा)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/2/6/13/14, एवं लेखा शाखा (प्रशाखा-30), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संजीव कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता (अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता), लघु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति: कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- निग/सारा-(लघु जल) आरोप-02/2022(A)

6268(S)

पटना, दिनांक :- 11/9/202

प्रतिलिपि :- आईटी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।